भाग—II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.................

7.प्रयोजना / स्कीम का स्थान	जनपद लखनऊ में कुकरैल आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम—चूड़ामनपुरवा मोहम्मदपुर मजरा में सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0345 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने का प्रस्ताव
(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश	उ0प्र0
(ii) जिला	लखनऊ
(iii) वन प्रभाग	अवध वन प्रभाग, लखनऊ
(iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हैक्टेयर में)	0.0345 हे0
(v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
(vi) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जावे (सिंचाई / जलीय प्रयोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मी0 भी संलग्न की जायें ।	—
(vii) वनस्पति का घनत्व	0.1
(viii) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू—क्षरण नहीं है, प्रमाण पत्र संलग्न है
(ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्तर की वन सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हो तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)।	नहीं है
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की दुलर्भ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्त सम्बन्धित ब्यौरा दे ?	नहीं है
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वी पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान / कोई और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1, कालम—2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता प्रयोजना के लिए अपिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।	हाँ न्यूनतम है
9. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां / नही) यदि हां, तो किए गये कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित व्योरा दें, उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी चल रहें है।	नहीं है
10. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम के ब्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस—पास के वन से इसकी दूरी भू—खण्डों की संख्या प्रत्येक भू—खण्ड का आकार	वन भूमि से मिला है। एक भूखण्ड है।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	मानचित्र संलग्न है
(iii) रोपित की जाने वाले प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	आम, नीम, जामुन, प्रासपिस आदि
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य / एन0पी0वी0)	1. प्रभागवित 0.0345 हे0 के दुगुने अर्थात 0.069 हे0 अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रू0 216502.00 प्रति हे0 की दर से रू0 14939.00 व्यय आयेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर कुल व्यय रू0 14939.00 2. प्रभावित 0.0345 हे0 आरक्षित वन भूमि की एन0पी0वी0 रू0 626000.00 प्रति हे0 की दर से 21597.00 का व्यय आयेगा। कुल धनराशि रू0 36536.00 (रू0 छत्तीस हजार पांच सौ छत्तीस मात्र)
(v) प्रतिपूरक नवीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	—

11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपपद्व 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	—
12. प्रभाग / जिला प्रोफाईल :	अवध वन प्रभाग,लखनऊ / लखनऊ
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	252800 हे0
(ii) जिले का वन क्षेत्र	10327.12 आरक्षित वन, 259.80 संरक्षित वन
(iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	72 मामले 185.37 हे0
(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	
(क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	185.54 हे.
(ख) वनेतर भूमि	5.27
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
(क) वनभूमि	106.26
(ख) वनेतर भूमि	1.56
13. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:—

स्थान:— लखनऊ।

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
कुकरैल

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ

(श्रद्धा यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

सेवा में,
CCF, लखनऊ मण्डल
लखनऊ।
महोदया,
बिन्दु सं० -13 'कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति' के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों को संज्ञान
में लाना आवश्यक है —
प्रस्तावित रोड वृद्धाश्रम के लिये मांगी गयी है जैसा कि अधिशासी अभियन्ता
द्वारा अपने पत्र 190/K-3/16 दिनांक 15/3/2016 को वृद्धाश्रम के नाम से मांगा
है "अवशेष भाग 10 mt की ल० में वृद्धाश्रम का पहुँच मार्ग अवशेष है।"
प्रश्नगत वृद्धाश्रम जिस भूमि पर स्थित है वह भूमि Kukrail Resort Pvt
Ltd के नाम से क्रय की गयी है। (संलग्नक - रजिस्ट्री की कॉपी)
Kukrail Resort Pvt Ltd की रजिस्ट्री में जो चौहद्दी है उसमें पूर्व
में सम्पत्ति क्रेता अंकित है जबकि प्रस्ताव में गाटा सं० 102 अंकित है, रजिस्ट्री में पश्चिम
में चक मार्ग अंकित है जबकि प्रस्ताव में गाटा सं० -72 की बची हुयी भूमि अंकित है
रजिस्ट्री में उत्तर में गाटा सं० 102 अंकित है जबकि प्रस्ताव में चक रोड है। रजिस्ट्री में
द० में शेष भूमि विक्रेता अंकित है, प्रस्ताव में गाटा सं० 91 अंकित है।
प्रश्नगत भूमि जैसा कि प्रस्ताव में अंकित है जनहित एवं विकास कार्य
के लिये नहीं बल्कि प्रस्ताव के अनुसार वृद्धाश्रम के पहुंच मार्ग अवशेष के लिये
प्रस्तावित है। अतः रिपोर्ट अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

D:\DFo Awadh\Survey\2016/1

(श्रद्धा यादव)
26/3/16

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक ९१९५ / १५-१०-५ लखनऊ, दिनाँक, अप्रैल, ०६ 2016.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषयः– चूडामनपुरवा–मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक–6998 / 14–10–4 दिनांक 06–04–2016.

महोदया,

आपके पत्र के कम में अवगत कराना है कि जो अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, वह निम्न प्रकार है :–

1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक–963 / आर–9 / 16 दिनांक 31–03–2016 के द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किया गया है उसमें मा0 विधायक, श्री गोमती यादव का पत्र दिनांक 27–10–2015 संलग्न था, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि "आस्था वृद्धा आश्रम तक का मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिसके कारण वहां पर वृद्धजन तथा आम जन को आने जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त कार्य जनहित में शीघ्र कराये जाने का कष्ट करें" में यह जनहित का कार्य अंकित है।
2. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक–966 / आर–9 / 15–16 के द्वारा वृद्धाश्रम के संचालक श्री अभिषेक शुक्ला का शपथ पत्र लगाकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि–

   क–"प्रश्नगत भूमि जो कुकरैल प्राइवेट रिसार्ट लिमिटेड के नाम से उस पर वर्तमान में वृद्धा आश्रम चलाया जा रहा है जो जनहित का कार्य है।

   ख– इस संस्थान का उपयोग मेरे या मेरी संस्था के द्वारा कभी भी व्यावसायिक या निजी कार्य के लिये नहीं किया गया है एवं भविष्य में भी इस संस्थान का उपयोग कभी भी मेरे द्वारा व्यावसायिक या निजी लाभ के लिये नहीं किया जायेगा।

   ग– कुकरैल प्राइवेट रिसोर्ट लि0 की जमीन पर जो वृद्धा आश्रम चल रहा है वह सार्वजनिक उपयोग के लिये है और इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

   घ–अतः जनहित में उपयोग किये जा रहे इस संस्थान के लिये जनहित में वन विभाग उसकी भूमि से रास्ता देने की कृपा करें।

   ड– इस रास्ते का उपयोग सिर्फ जनहित कार्यों के लिये किया जायेगा।"
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी, लखनऊ और क्षेत्रीय वन अधिकारी के द्वारा प्रस्ताव की बिन्दु संख्या–13 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "जनहित एवं विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है"।

उपरोक्त अभिलेखों में अंकित तथ्यों के आधार पर तथा क्षेत्रीय वनाधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति से सहमति व्यक्त की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस रोड का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन में करने पर वन हस्तानान्तरण की सहमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

भवदीया,

(श्रद्धा यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– चूड़ामनपुरवा–मोहम्मदपुर सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक–6998 / 14–10–4, दिनांक 06.04.2016

महोदया,

मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय अपत्तियां प्रेषित की हैं। इस सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की जा रही है, संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार–

1. प्रश्नगत वृद्धा आश्रम में पहुँचने हेतु मोहम्मदपुर मजरा (चूड़ामनपुरवा) से जो मार्ग जाता है, वह वृद्ध आश्रम के पहले तक ही पक्की बनी है जो सर्वाजनिक भूमि में है तथा बिन्दु संख्या ए और बी के बीच दर्शायी गयी है।
2. उक्त मार्ग के आगे विस्तार करने पर ही प्रश्नगत वृद्धा आश्रम तक पहुँचा जा सकता है, जिसे बिन्दु संख्या बी व सी के मध्य प्रदर्शित किया गया है जो वन सीमा पत्थर 55–56 के मध्य प्रदर्शित किया गया। इसी वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
3. प्रश्नगत भूमि आरक्षित वन भूमि है और वन खण्ड की सीमा से लगी हुई है।
4. भूमि हस्तान्तरण से पर्यावरण एवं वन प्रबन्धन में कोई कु–प्रभाव नहीं पड़ेगा।
5. अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से पुष्टि होती है कि उक्त मार्ग का प्रयोग जनहित के लिए होगा।
6. उक्त तथ्यों के आलोक में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के लिए संस्तुति की जाती है।

(रवीन्द्र सिंह नेगी)
वन दरोगा

(कुशल सिंह नगरकोटी,)
सर्वेयर,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

(एम0एस0 यादव,)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कुकरैल

(ए0के0सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लखनऊ

सेवा।
अ० का० मार्ट।

D:\DFo Awadh\Survey\2016/1